



2026:AHC:36553

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या- 5298 सन् 2026

कमला सिंह एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सत्येंद्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/ उप मंडल मजिस्ट्रेट, सकलडीहा, जिला चंदौली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.03.2024 के अनुपालन हेतु याचिकाकर्ता ने 20.05.2025 को अभ्यावेदन दिया था, जिसके आधार पर राजस्व दल का गठन किया गया और रिपोर्ट मंगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका तर्क है कि काफी समय बीत चुका है और आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा।
4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/ उप-मण्डल मजिस्ट्रेट, सकलडीहा जिला चंदौली को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले में शीघ्रता से और अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

18 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"